Shot on realme 2 Pro
By AAM INSAN

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

आदेश संख्या: 162 /2020, दिनांकित:जुलाई, 15 2020.

आदेश

कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा व्हाट्स-अप के माध्यम से प्राप्त पत्र कोविड-19 से संख्या 2074/सी.आर.ए./ कोविड-19/2020-21 दिनांक 14.07.2020, सम्बन्धित आदेश की प्रति प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि श्री पुनीत शुक्ला पुत्र महेन्द्र नाथ शुक्ला कलेक्ट्रेट- फर्रुखाबाद कोविड-19 के तहत् संचालित एकीकृत नियंत्रण कक्ष में तैनात रहे है, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव है। माननीय मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 31.05.2020 के तहत् विभिन्न निर्देशों के सम्बन्ध में है तथा जिसके कन्टेनमेंट- जोन शहरी क्षेत्र के बिन्दु संख्या-04 के उपबिन्दु (i) एवं (i i) में यह व्यवस्था दी गयी है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/ मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के आशय से सैनिटाइजेशन/ निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे भवनों/ परिसरों को पूर्ण रुप से सैनिटाइज/ निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

अध्यक्ष /सचिव बार एसोसियेशन, फतेहगढ़ एवं अधिवक्ता संघ, फतेहगढ़ के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया कि कलेक्ट्रेट परिसर और जनपद न्यायालय परिसर की बाउन्ड्रीवाल एक दूसरे से लगी हुई है और कुछ अधिवक्तागण के चेम्बर कलक्ट्रेट परिसर में भी है जिस कारण अधिवक्तागण एवं वादीकरण का आवागमन आज भी न्यायालय परिसर में जारी है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ dated 03.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या-15 के अनुपालन में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु जजशिप फर्रुखाबाद स्थित सभी न्यायालयों/ कार्यालयों को आज दिनांक 15.07.2020 के सायः 05.00 बजे से कल दिनांक 16.07.2020 को सायः 05.00 बजे तक बन्द किया जाना आवश्यक है। जिससे सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को अच्छी तरह से सेनेटाइज कराया जा सके।

उक्त दिनांक 16.07.2020 को नियत वादों में दिनांक 17.08.2020 आगामी सामान्य तिथि नियत की जाती है।

जो न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में प्रशिक्षण (ई-ट्रेनिंग) प्राप्त कर रहे हैं वे उक्त कार्यदिवस में अपने आवास से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य दिवस में रिमाण्ड कार्य, अवकाश कार्य दिवस की भांति संपादित कराने हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी नजारत फर्रुखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा मुख्यालय स्थित प्रत्येक न्यायालयों कक्षों एवं सभी कार्यालयों को सेनेटाइज व साफ-सफाई कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण न्यायालयों/ कार्यालयों इत्यादि को सेनेटाइज कराने हेतु जिलाधिकारी फर्रुखाबाद, मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इस आदेश की प्रति अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसियेशन फर्रुखाबाद एवं अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे तद्नुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिए अवगत करायें, जिससे कि समस्त अधिवक्ता चेम्बरों को भी सेनेटाइज किया जा सके।

सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हों एवं आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस सूचना को लोकहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें। आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर एवं एक प्रति न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर चस्पा की जाये।

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को तद्नुसार प्रेषित की जाये।

15/7/2020

(सुभाष चन्द)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।